झारखंड उच्च न्यायालय रांची में

आपराधिक विविध याचिका सं.3614/2023

मो. अहमद साह उर्फ मो. अहमद, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता सहजाद साह उर्फ सज्जाद साह, निवासी मनवाल, डाकघर-करंजकला, थाना-सराय ख्वाजा, जिला-जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य विरोधी पक्षः

याचिकाकर्ता के लिए श्री संजय कुमार पांडेय अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री शैलेश के. सिन्हा, अतिरिक्त लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, नगर उंटारी, गढ़वा द्वारा पारित दिनांकित 28.06.2023 आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, नगर उंटारी, गढ़वा ने नगर उंटारी थाना मामले संख्या 79/2018 के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379,411,420 और 34, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21, झारखंड लघु खनिज रियायत नियम 2004 के नियम 54 और एम. सी. अधिनियम (1860 का 45) की धारा 199,194 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मामले के अनुसंधानकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी., नगर उंटारी, गढ़वा के समक्ष प्रार्थना की। अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, नगर उंटारी, गढ़वा ने मामले के रिकॉर्ड को देखने पर पाया

कि याचिकाकर्ता सहित मामले के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और मामले के आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार, मामले के आरोपी व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं, इसलिए, संतुष्ट होने पर, अभियुक्त को विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी., नगर उंटारी, गढ़वा की अदालत में 25.08.2023 पर या उससे पहले पेश होने के निर्देश के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की गई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह उस ट्रैक्टर का मालिक है जो रेत को अधिक भारित करके परिवहन में शामिल है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि न तो याचिकाकर्ता फरार है और न ही अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है और न ही अदालत की प्रक्रिया के अनुपालन से बच रहा है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नगर उंटारी थाना केस सं. 79/2018 रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

5. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक नगर उंटारी थाना केस सं 79/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी., नगर उंटारी, गढ़वा द्वारा पारित दिनांकित 28.06.2023 आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करता है। और प्रस्तुत करता है कि अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, नगर उंटारी, गढ़वा ने अपना संतोष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है और कानून के प्रावधानों का पालन कर रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता के आत्मसमर्पण करने के लिए समय और स्थान का उल्लेख करने की आवश्यकता भी शामिल है, इसलिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, नगर उंटारी, गढ़वा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28.06.2023 में कोई अवैधता नहीं है और इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाना चाहिए।

6. बार में की गई दलीलों को सुनने के बाद, और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, नगर उंटारी, गढ़वा ने कानून की सभी आवश्यकताओं का पालन किया है, और अपना संतोष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है और याचिकाकर्ता के आत्मसमर्पण करने के लिए समय और स्थान का उल्लेख करने सहित आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने की आवश्यकता को उचित ठहराया है, इसलिए, नगर उंटारी पी. एस. केस सं. 79/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी., नगर उंटारी, गढ़वा द्वारा पारित दिनांकित 28.06.2023 आदेश में कोई अवैधता नहीं है इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 21 फरवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|